



प्रेस नोट - दिनांक 02.02.2025

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव ।



करीब 12 लाख रुपये कीमत के 25 किलो 400 ग्राम गांजे के साथ एक अंतर्राज्यीय तस्क़र गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी व क्षेत्राधिकारी महोदया नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा 25 किलो 400 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक अंतर्राज्यीय तस्क़र को गिरफ्तार किया गया है।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 02.02.2025 को उ0नि0 अंजनी कुमार मय हमराह टीम द्वारा थाना गंगाघाट क्षेत्रान्तर्गत पुराने गंगापुल के पास चेकिंग के दौरान गंगापुल के नीचे से एक अभियुक्त रवि पाण्डेय पुत्र महेश पाण्डेय उम्र करीब 44 वर्ष निवासी मिश्रा कलोनी थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव को कब्जे से 25 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा (कीमत करीब 12 लाख रुपये) बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह उड़ीसा से गांजा लाकर उन्नाव व आसपास के जनपदों में बेचता था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगाघाट पर मु0अ0स0 45/2025 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रवि पाण्डेय पुत्र महेश पाण्डेय उम्र करीब 44 वर्ष निवासी मिश्रा कलोनी थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण- 25 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 672/23 धारा 143/147/323/336/506 भा0दं0वि0

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री अंजनी कुमार सिंह
2. का० इमरान
3. का० प्रशान्त सिंह



गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 02.02.2025 को उ0नि0 अरविन्द सिंह रघुवंशी व उ0नि0 सीताराम के द्वारा थाना सफीपुर पर पंजीकृत मु0अ0स0 29/2025 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित अभियुक्त राकेश लोधी पुत्र रजऊ उर्फ राजाराम निवासी ग्राम देवरामऊ थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र 40 वर्ष को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राकेश लोधी पुत्र रजऊ उर्फ राजाराम निवासी ग्राम देवरामऊ थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र 40 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 अरविन्द सिंह रघुवंशी
उ0नि0 सीताराम

